

प्रेषक,

निदेशक,

पंचायती राज, उ०प्र०।

सेवा में,

जिला पंचायत राज अधिकारी/

मेरठ, ललितपुर, मऊ तथा सिद्धार्थनगर।

आवंटन,

अनुदान सं०-14

तेरह अंको का कोड-2515001011401

संख्या- 1/276/2021-1/06/2021:

लखनऊ:

दिनांक: ०७ दिसम्बर, 2021

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में सफाई कर्मचारियों के भुगतान हेतु अनुदान संख्या-14 के अधीन लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-101-पंचायती राज-14-पंचायती राज संस्थाएँ-1401-सफाई कर्मचारी अधिष्ठान में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मानक मदों में व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपयुक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ०प्र० शासन के शासनादेश सं०-28/2021/791/33-3-2021-791/2021 दिनांक 08.04.2021 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-14 में सफाई कर्मचारियों के अधिष्ठान में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मानक मदों में व्यय हेतु संलग्न तालिका के अनुसार रू०-22,57,419/- (रू० बाइस लाख सत्तावन हजार चार सौ उन्नीस मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती है:-

1. आवंटित धनराशि को आहरित कर पी०एल०ए०/डिपॉजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा।
2. आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।
3. वित्तीय स्वीकृतियों तथा कोषागारों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में सही लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड सहित) के साथ-साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाय।
4. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
6. आहरण वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष एकमुश्त आहरण की अनुमति नहीं दी जायेगी। वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्यकतानुसार धनराशि के कोषागार से आहरण की फेजिंग का स्वीकृति आदेश में समावेश सुनिश्चित किया जायेगा, जो सामान्यतः 02 माह की आवश्यकता से अधिक नहीं होगी।
7. वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने/धनराशि को नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलॉटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये।
8. विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं०-4/2018/आर०जी०-1021/दस/2018-मित०-1/2017 दिनांक 18.09.2018 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेन्सियल प्रोपाइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
10. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी०एम०-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से सम्बन्धित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।
11. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-14 के अधीन लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-101-पंचायतीराज-14-पंचायती राज संस्थाएँ-1401-सफाई कर्मचारी अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

12. नियमानुसार अनुमन्य धनराशि ही वेतन मद में आहरित की जाय। गलत तथा अधिक आहरण के लिये आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
 13. बी0एम0-4 पर बने सभी कालम अवश्य भरे जाय तथा विवरण में कोषागार वाऊचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।
 14. यदि बी0एम0-4 में सूचना नहीं भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई भी घटना होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सीधे जिम्मेदार होंगे।
 15. एक बार धनराशि समर्पित किये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि को कोषागार से आहरित न किया जाये। अतः यदि समर्पण के बाद बिना अनुमति के कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है तो उसके लिये आहरण वितरण अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।
 15. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही मुख्य, उप-मुख्य-लघु, विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये ताकि महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा न हो।
 16. संबंधित आहरण वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि के व्यय का लेखा जोखा रखेंगे तथा व्यय की सूचना निम्नलिखित तिथि तक निदेशालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे-
 1. कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक व्यय विवरण बी0एम0-4 पर तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिकेन्सिलियेशन स्टेटमेंट आगामी माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से लेखा एवं बजट अनुभाग-1 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
 2. वर्ष 2021-22 में यदि कोई धनराशि अवशेष हो तो उसे दिनांक 10.03.2022 तक निदेशालय को समर्पण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
- प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-105 पर अंकित है।

संलग्नक उपरोक्तानुसार।

महोदय,
(अनुराज कुमार झा)
निदेशक,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्या: 1/2716/1/2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार सी0पी0 सी0-2 उ0प्र0 प्रयागराज।
4. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उ0प्र0, प्रयागराज।
5. वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0 प्रयागराज।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7. एस0पी0एम0यू0, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(ब्रजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-07/12/2021

प्रेषण संख्या:- 1-276-2021-01-06-2021
आवंटन आदेश संख्या:- 007-1-06-2021
अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेत्तर-मतदेय)
101 - पंचायती राज
14 -
01 - सफाई कर्मचारी

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		01-वेतन	03-महगाई भत्ता	49-चिकित्सा व्यय	55-मकान किराया भत्ता	योग
1	मेरठ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1578760 74035777	0 17970187	0 445850	0 4962000	1578760 97413814
2	ललितपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	0 73773276	0 17153428	45890 468666	0 3813402	45890 95208772
3	मऊ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	515600 263905890	84972 60597134	0 85478	14630 12231149	615202 336819651
4	सिद्धार्थनगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	0 276353071	0 62904884	17567 725533	0 12290579	17567 352274067
	योग	वर्तमान प्रगामी	2094360 688068014	84972 158625633	63457 1725527	14630 33297130	2257419 881716304

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया बाइस लाख सत्तावन हजार चार सौ उनीस

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया अठासी करोड़ सत्रह लाख सोलह हजार तीन सौ चार

(बृजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी